झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–198 वर्ष 2017

अर्जुन प्रसाद .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखंड राज्य और अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अरशद हुसैन, अधिवक्ता

उत्तरदातओं के लिए :– जी0पी0–IV का विद्वान जे0सी0

06 / 12.06.2017 पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्त्ता को मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (एम0एम0के0के0वाई0) के तहत जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो झारखंड सरकार के कृषि और गन्ना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना थी। प्रारंभिक चरण में, याचिकाकर्त्ता को 5500 / – प्रतिमाह रूपये का मानदेय दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 15000 / – रू0 प्रति माह कर दिया गया था जो दिनांक 04.03.2011 से प्रभावी था। उक्त योजना, जून, 2014 से अप्रभावी हो गई। याचिकाकर्त्ता का दावा है कि उसने मई, 2014 तक काम किया था, लेकिन उसे मई, 2013 से मई, 2014 तक अपने मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, यहाँ तक कि 5500 / – रूपये प्रतिमाह की प्रारंभिक राशि भी नहीं दी गई है। उन्होनें कहा कि वह उक्त अवधि के दौरान 15000 / – रूपये प्रतिमाह का मानदेय पाने के हकदार थे। वह आगे कहते हैं कि मानदेय को बढ़ाकर 5500 / – रू0

प्रतिमाह से 15000/– रू0 प्रतिमाह दिनांक 04.03.2011 से प्रभावी कर दिया गया था लेकिन आज तक मार्च, 2011 से अप्रैल, 2013 तक का उसका भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होनें आगे कहा कि उन्होनें निदेशक, कृषि, झारखंड सरकार, रांची (प्रतिवादी सं0 3) के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए लेकिन उनके अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

जी0पी0–IV के विद्वान जे0सी0 का कहना है याचिकाकर्त्ता की शिकायत पर गौर किया जाएगा और उचित आदेश पारित किया जाएगा यदि याचिकाकर्त्ता निदेशक, कृषि, झारखण्ड सरकार, रांची (प्रतिवादी सं0 3) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करता है। उक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, याचिकाकर्त्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी सं0 3 के समक्ष अपने दावे के बारे में विस्तार से बताते हुए एक नए अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, निदेशक, कृषि (प्रतिवादी सं0 3) उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक उचित युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। वह यह भी ध्यान में रखेगा कि क्या याचिकाकर्त्ता ने वास्तव में उक्त अवधि के दौरान काम किया है। यदि याचिकाकर्त्ता ने उक्त अवधि के लिए काम किया है, तो वह उस अवधि के लिए स्वीकार्य मानदेय पाने के हकदार हैं, जिस अवधि में उसने वास्तव में काम किया था।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्त्ता को कोई राशि देय पाई जाती है, तो उसे उक्त अवधि के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।

इस अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट एप्लिकेशन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)